मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं

पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत सन 476 में हुआ और इसी के साथ प्राचीन युग का भी अंत हो गया। इसके बाद से यानि लगभग पाँचवी सदी से पंद्रहवीं सदी के उत्तरार्ध तक के कालखंड को मध्यकाल माना जाता है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अक्सर इस युग को अंधकार युग (Dark Age) की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि इस युग में स्वतंत्र मौलिक राजनीतिक चिंतन नहीँ हुआ। जहां प्राचीन यूनान ने एक से बढ़कर एक राजनीतिक चिंतकों और दार्शनिकों को जन्म दिया, प्राचीन रोम ने विधि और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान दिया वहीं मध्य युग में लेखन पर या तो धार्मिक ग्रंथ बाइबल (bible) का प्रभाव रहा या फिर अरस्तू के राजनीतिक विचारों का। ब्राइस भी कहते हैं कि, 'मध्य युग अराजनीतिक था'।

लेकिन इस उक्ति में पूर्ण सत्य नहीं है। मध्य युग को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग पाँचवीं से तेरहवीं शताब्दी तक और द्वितीय भाग चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी तक। प्रथम भाग में तो धार्मिक चिंतन की प्रधानता रही, इसे आस्था का युग आसानी से कहा जा सकता है लेकिन बाद की दो शताब्दियों में राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है।

मध्य युग के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है;

1. सम्पूर्ण मानव समाज एक इकाई

ईसाई धर्म में मानव प्राणियों में समानता और एकता मानी जाती है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने एक सार्वभौम ईसाई समाज की कल्पना की जिसके अनुसार पूरा ईसाई जगत एक राज्य था। इस समाज के दो प्रधान थे, पोप और सम्राट। पोप धार्मिक मामलों का प्रमुख था तो सम्राट सांसारिक मामलों का। लेकिन चर्च और

पोप को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जो जीवन के सभी क्षेत्रों धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक में इसाइयत के सिद्धांतों को लागू करके उन्हें एकता के सूत्र में बांधते थे।

2. चर्च की सर्वोपरिता

इस युग में चर्च का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ तक कि उसनें राजसत्ता को भी एक लंबे समय तक अपने अधीन रखा। चर्च ने अपने समर्थन में 'दो तलवारों का सिद्धांत' विकसित किया और आगे चलकर दान पत्र का आधार प्रस्तुत किया।

3. राजतन्त्र सरकार

मध्ययुग में एकता के सिद्धांत पर बहुत बल दिया जाता था। चर्च और राज्य में राजतन्त्र की प्रणाली सबसे अच्छी समझी जाती थी। गिएर्के के शब्दों में, 'मध्ययुग के विचारक यह मानते थे कि सामाजिक संगठन का मूल तत्व एकता है और यह एकता शासन करने वाले अंग में होना चाहिए। और यह उद्देश्य तभी अच्छी तरह से पूरा हो सकता है जब शासक अंग स्वयमेव एक इकाई और परिणामतः एक व्यक्ति हो'।

4. राजसत्ता पर प्रतिबंध

मध्ययुग में राजसत्ता निरंकुश नहीँ थी। उस पर अनेक प्रतिबंध थे। पहला प्रतिबंध तो वह प्रतिज्ञा थी जो राजा पद ग्रहण करते समय लेता था। दूसरा प्रतिबंध सामंती व्यवस्था का था। और तीसरा प्रतिबंध यह था कि राजा रीति - रिवाजों के रूप में चले आ रहे कानूनों के पालन के लिए बाध्य था। राज का अधिकार कानूनों का नोरमान नहीँ वरन केवल उनकी उद्घोषणा करना था। जॉन ऑफ सलिसबरी ने

राजा को मर्यादित रखने की बात पर सबसे ज्यादा बल दिया। उसने कहा कि, 'तलवार धारण करने वाला तलवार से ही नष्ट होगा'।

5. शरीर और आत्मा का सिद्धांत

मध्ययुग में राज्य को शरीर और चर्च को आत्मा का प्रतीक माना गया। आत्मा और शरीर दोनों एक हैं अलग अलग नहीँ। केवल दोनों का क्षेत्राधिकार अलग है। आत्मा से संबंधित विषय चर्च के आधीन हैं तो शरीर से संबंधित विषय राज्य के।

6. लोक सत्ता का विचार

मध्ययुग में जहां राजा को देवतुल्य माना गया वहीं जनता के भी कुछ दैवीय अधिकार माने गए। थॉमस एकुनास, मारसीलिओ,निकोलस आदि विचारकों ने कहा कि प्रभु शक्ति जनता में है और उसे शासक को चुनने का अधिकार है। भले ही यह आधुनिक युग के लोकतंत्र के समान न हो लेकिन इसमें लोकतंत्र के बीज अवश्य मिलते हैं।

7. सामूहिक जीवन की प्रव्रति

मध्ययुग में व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समूह, समुदाय बनाए थे। जैसे कि ईसाई मठ, परिव्राजक समुदाय, आर्थिक श्रेणियाँ, कम्यून और नगर आदि। इन संस्थाओं के अपने नियम, अनुशासन और उद्देश्य होते थे। इन समुदायों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था। इन्हीं निगमों और समुदायों के आधार पर भविष्य में यूरोप के अनेक देशों में स्वशासित संस्थाओं का विकास हुआ। आधुनिक युग की बहुलवादी धारणा इसी पर आधारित है।

8. प्रतिनिधि शासन

मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बीज भी मिलते हैं। पोप जो ईसाई समाज का सर्वोच्च धर्मगुरु था उसका निर्वाचन पादरी करते थे और उन्ही के द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता था। धर्म संबंधी बातों में अंतिम निर्णय का अधिकार पादरियों की संयुक्त परिषद को था। प्रतिनिधि शासन के इस विचार को राजनीतिक क्षेत्र में लाने का भी प्रयास किया गया। निकोलस, जॉन ऑफ पेरिस, मारसीलिओ आदि विचारकों ने इसका समर्थन किया। मारसीलिओ निर्वाचित राजतन्त्र का समर्थक था। उसने यह भी कहा कि शासक को अपने समस्त कार्यों के के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जॉन ऑफ पेरिस का सुझाव था कि राजतन्त्र को प्रतिनिधित्व द्वारा नम्र बनाना चाहिए।

9.सामंतवाद

मध्ययुग की एक विशेषता सामंतवाद थी जो विकेन्द्रीकरण का प्रतीक थी। राजा के आधीन सामंत होते थे, उनके नीचे उप सामंत और उनके नीचे और छोटे सामंत और सबसे नीचे के स्तर पर जनता। यह व्यवस्था आर्थिक भी थी। इसमें समस्त भूमि पर राज का अधिकार होता था और उसे नीचे के सामंतों को प्रदान किया जाता था। जिसकी भूमि होती थी उसे जोतने के अधिकार भी मिल जाते थे। लेकिन राष्ट्रीय राज्य के उदय के साथ ही सामंतवाद का अंत हो गया।

महत्व:

मध्य युग में संगठित राजनीतिक चिंतन का भले ही अभाव रहा हो। संप्रभुता या कानून की श्रेष्ठता के सिद्धांतों का प्रतिपादन भले ही नहीँ हुआ हो लेकिन इस युग में अनेक व्यापक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, धार्मिक क्षेत्र में सुधार हुए, दास - प्रथा का अंत हुआ आदि। इसने युरोपियन सभ्यता के विकास में योगदान दिया और आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोफेसर एडम्स के शब्दों में, 'मध्य युग का कार्य प्राथमिक रूप से प्रगति नहीँ था। बल्कि विभिन्न जातीय और प्रायः परस्पर विरोधी तत्वों में से जो इसे प्राचीन काल से मिले थे, एक जैविक रूप से एकताबद्ध और सजातीय संसार का निर्माण करना था'।